

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष - अजय रामबगैरह ।

बनाम

वाद सं० 73/2022

द्वितीय पक्ष - भौवा साहु बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
30/1/27	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 28/2022 दिनांक 28/06/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) अजय राम कांसी उम्र 48 वर्ष पिता प्रमोद राम कांसी ग्राम जगजोर थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) भौवा साहु उम्र 55 वर्ष पिता स्व० जगरनाथ साहु ग्राम कोनबीर थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर आपसी विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p> <div data-bbox="683 1415 976 1709" style="text-align: center;"></div> <div data-bbox="1081 1440 1386 1598" style="text-align: right;"><p><i>[Signature]</i> अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।</p></div>	